



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 2014/श्रावण 1, 1936

No. 377]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 2014/SHRAVANA 1, 1936

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 522(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में और भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 42(अ), दिनांक 20 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 160(अ), 162(अ) और 157(अ), दिनांक 04 मार्च, 2014 के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में दर्शाए गए व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31-03-2016 तक कांडला पोर्ट के बोर्ड न्यासी के रूप में कथित तालिका के कॉलम (2) में दर्शाए गए हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है :

तालिका

क्रम सं.	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
2.	समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रतिनिधि	1
3.	सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि	1
4.	गुजरात सरकार के प्रतिनिधि	1
5.	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि	1
6.	रक्षा सेवा के प्रतिनिधि	1
7.	तट रक्षक के प्रतिनिधि	1
8.	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि	1
9.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि	1
10.	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	4
11.	एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	3
	कुल	17

[फा. सं. एलबी-11013/8/2013-एल]

एन. मुरुगानन्दम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING**(Ports Wing)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd July, 2014

G.S.R. 522(E).—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notifications of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G.S.R. 42(E), dated 20th January, 2014, G.S.R. 160(E), dated 04-03-2014, G.S.R. 162(E), dated 4th March, 2014 and G.S.R. 157(E), dated 4th March, 2014, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Kandla from the date of publication of this notification in the Gazette of India upto 31-03-2016.

TABLE

S. No.	Interest	No. of Persons to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Labour employed in the Port	2
2.	Rep. of Mercantile Marine Deptt.	1
3.	Rep. of Department of Customs	1
4.	Rep. of State Govt. of Gujarat	1
5.	Rep. of Ministry of Shipping	1
6.	Rep. of Defence Services	1
7.	Rep. of Coast Guard	1
8.	Rep. of Indian Railways	1
9.	Rep. of Ministry of Environment and Forest	1
10.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963	4
11.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT Act, 1963	3
Total		17

[F.No. LB-11013/8/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 523(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा(6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में और भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) के दिनांक 04 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 160(अ), 162(अ) और 157(अ) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के क्रम सं. 1 से 9 में दर्शाए गए व्यक्तियों को भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31-03-2016 तक कंडला पोर्ट के बोर्ड न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :

तालिका

1.	मुख्य अधिकारी, समुद्री वाणिज्यिक विभाग, कांडला	समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रतिनिधि
2.	सीमाशुल्क आयुक्त (आयात), कांडला	सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपाध्यक्ष, गुजरात मैरीन बोर्ड	राज्य सरकार के प्रतिनिधि
4.	श्री संबित त्रिपाठी, निदेशक	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि
5.	नौसेना प्रभारी, गुजरात	रक्षा सेवा के प्रतिनिधि
6.	चीफ फ्रंट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर/डब्ल्यू आर	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि
7.	सेना अध्यक्ष, क्षेत्रीय मुख्यालय (एनडब्ल्यू), गांधीनगर	तट रक्षक के प्रतिनिधि
8.	श्री एम. एल. बेलानी, परिवहन एवं डॉक श्रमिक यूनियन कांडला	पत्तन पर नियोजित कामगारों के प्रतिनिधि
9.	श्री मोहन के. अस्विनी, कांडला पोर्ट कर्मचारी संघ कांडला	पत्तन पर नियोजित कामगारों के प्रतिनिधि

[फा. सं. एलबी-11013/8/2013-एल]

एन. मुरुगानन्दम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2014

G.S.R. 523(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section 6 of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notifications of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G.S.R. 160(E), dated 04-3-2014, G.S.R. 162(E), dated 4th March, 2014, and G.S.R. 157(E), dated 4th March, 2014, the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1-9 in the table below, to be Trustees on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust from the date of publication of this notification in the Gazette of India upto 31-03-2016.

TABLE

1.	Principal Officer, Mercantile Marine Department, Kandla	Representing Mercantile Marine Department
2.	Commissioner of Customs, Kandla	Representing Department of Customs
3.	Chief Executive Officer & Vice-Chairman, Gujarat Maritime Board	Representing State Government
4.	Shri Sambit Tripathy, Director	Representing Ministry of Shipping
5.	Naval Officer-in-Charge, Gujarat	Representing Defence Services
6.	Chief Freight Transportation Manager/WR	Representing Indian Railways
7.	Chief of Staff, Regional Headquarters (NW), Gandhinagar	Representing Coast Guard
8.	Sh. M.L. Bellani Transport and Dock Workers Union, Kandla	Representing labour employed at the Port
9.	Sh. Mohan K. Aswani Kandla Port Karamchari Sangh, Kandla	Representing labour employed at the Port

[F.No. LB-11013/8/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.